न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 44 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामकिशोर पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बरनेल रोड जायल तहसील जायल जिला नागौर।		तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 07.07.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व मौजा जायल के नामान्तरकरण 7768 को तहसीलदार जायल द्वारा दिनांक 16.08.2022 को स्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 15.09.2022 को रिव्यू करके नामान्तरकरण को निरस्त करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.10.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 7768 की फोटोप्रति, मौजा जायल के खसरा नम्बर 3065 / 1424 की जमाबंदी संबंत् 2073 से 76 की फोटोप्रति, मौजा जायल के नामान्तरकरण संख्या 7089 दिनांक 20.04.2021 की फोटोप्रति, कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं अपर कलक्टर नागौर के पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 20.10.22 की फोटोप्रति, तहसीलदार जायल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– तहसीलदार जायल का आदेश दिनांक 15.09.2022 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 86 के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया होने के कारण अपास्त किए जाने के योग्य है। तहसीलदार जायल ने अपने पूर्व म्यूटेशन स्वीकृति के आदेश दिनांक 16.08.2022 पर बिना किसी आधार के पुर्नविलोकन करने का अधिकार नहीं था। इसलिए आदेश जैर अपील अवैध व शून्य है।

{2}(II)– पटवारी हल्का को किसी राजस्व प्रकरण में रेफरेन्स बनाने के लिए स्वतः रिपोर्ट भेजने का अधिकार नहीं है। रेफरेन्स का आवेदन केवल तहसीलदार को ही है। अपर जिला कलक्टर व जिला कलक्टर के समक्ष पेश करने का अधिकार है। इस प्रकरण में तहसीलदार जायल द्वारा आज दिनांक 27.09.2022 तक कोई रेफरेन्स अपर जिला कलक्टर के समक्ष पेश नहीं किया हुआ है और न ही ऐसी किसी रेफरेन्स का आवेदन अपर जिला कलक्टर नागौर के दायरा रजिस्टर में दर्ज है। इसलिए पटवारी हल्का व तहसीलदार जायल ने गलत व मिथ्या तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपीलांट व विक्रेता मनीषा जांगीड से विद्वेष करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव में आकर बदनियति से स्वीकार किए गए नामान्तरकरण का पुर्नविलोकन किया जाने के बहाने अस्वीकार किये जाने का आदेश जैर अपील पारित किया है जो गलत व अवैध है।

{2}(III)–मूल खसरा नम्बर 1424 मौजा जायल में से करीब 50 वर्ष पूर्व सैंकडों व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन व समय समय पर कब्जे के आधार पर नियमन भी किया गया है तथा उक्त खसरे की आवासीय भूमि ग्राम पंचायत जायल व वर्तमान में नगरपालिका जायल के क्षेत्राधिकार में है और ग्राम पंचायत जायल व नगरपालिका जायल ने समय समय पर केम्पों का आयोजन करके आवासीय पट्टे गृह स्वामियों व कब्जे धारियों के नाम बनाये गये। सारे तथ्यों की जानकारी पटवारी हल्का व तहसीलदार जायल को थी। फिर भी अपीलांट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के आवासीय भूखण्ड के रेफरेन्स के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करना रेस्पोडेंट व पटवारी हल्का की बदनियती होना प्रकट करता है। इसलिए आदेश जैर अपील न केवल विधि के विपरित है बल्कि बदनियती से पारित किये जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–दिनांक 16.08.22 को अपीलांट के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के पश्चात अगर किसी कारण से पुर्नविलोकन (रिव्यू) किया जाने की कार्यवाही शुरू की जाती है तो इस संबंध में अपीलांट, प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बिना जानकारी के उसकी पीठ पीछे आदेश जैर अपील दिनांक 15.09.2022 के द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया इसलिए आदेश न केवल विधि बल्कि प्राकृति न्याय के सिद्वांन्तों के विपरित होने से अपास्त करने योग्य है। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 290 से 292, आरआरटी 2018 (2), पेज 1280 से 1283, आरआरटी 2022(2) पेज 1107 से 1113, आरआरटी 2005(1) पेज 545 से 548 और आरआरडी (2010) पेज 254 से 260 तक नजीरे पेश की।

{3}–रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त भूमि से संबंधित रेफरेन्स कमीपूर्ति मे चल रहा है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार जायल द्वारा मौजा जायल के नामान्तरकरण सं. 7768 दिनांक 16.08.2022 स्वीकार करने के पश्चात दिनांक 15.09.2022 को उक्त नामान्तरकरण को रिव्यू करके निरस्त करने के आदेश से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई। तहसीलदार जायल द्वारा बिना विधिक अधिकार के उक्त नामान्तरकण को रिव्यू करके निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जायल द्वारा मौजा जायल के नामान्तरकरण संख्या 7768 दिनांक 16.08.2022 को स्वीकार करने के पश्चात दिनांक 15.09.2022 को रिव्यू करके उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया, उक्त रिव्यू करने के आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर